बजट 2004-2005

वित्त मंत्री

पी. चिदम्बरम

का

भाषण

8 जुलाई, 2004

भाग-क

अध्यक्ष महोदय,

I. प्रस्तावना

1. मैं वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

2. प्रत्येक पांच वर्ष में, अथवा कभी-कभी इससे भी पहले भारत की जनता अपनी सामूहिक आवाज में बोलती है। सामान्यतः यह संदेश असंदिग्ध और स्पष्ट होता है। वर्ष 2004 के चुनाव भी ऐसे ही थे। यह जनादेश एक गठबंधन के विरुद्ध था और दूसरे गठबंधन के पक्ष में था और यह परिवर्तन का जनादेश था। जैसा कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने दो सप्ताह पहले राष्ट्र को अपने संबोधन में कहा था, जनता ने एक ऐसा परिवर्तन चाहा है "जिसमें देश को चलाया जाए, यह परिवर्तन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए है, और यह परिवर्तन शासन की प्रक्रियाओं और उसके मुख्य लक्ष्यों के लिए है।" मैं इस जनादेश के अनुरूप हर संभव प्रयत्न करूंगा।

II. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम : एक पथ प्रदर्शक

3. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने स्वयं को तथा इस देश की जनता को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम दिया है। सरकार ने इसे अब एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के रूप में अंगीकार किया है। यह कार्यक्रम सात स्पष्ट आर्थिक उद्देश्यों का उल्लेख करता हैः

(1) निरंतर अवधि के लिए प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखना,

(2) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सर्वसुलभ बनाना,

(3) कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं में लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना और निवेश को बढ़ावा देना,

(4) प्रत्येक परिवार में न्यूनतम दर पर आजीविका कमाने वाले को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना,

(5) कृषि एवं आधारभूत सुविधाओं पर जोर देना,

(6) राजकोषीय मजबूती और सुधार में तेजी लाना, और

(7) उच्चतर और अधिक कारगर राजकोषीय हस्तान्तरण सुनिश्चित करना।

4. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस वर्ष मई में अपनी यात्रा शुरू की। फिर भी, मैं देखता हूं कि वर्ष के तीन महीने बीत चुके हैं और बजट पारित होने तथा वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने तक वर्ष का लगभग आधा हिस्सा बीत जाएगा। मेरे पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा एक अंतरिम बजट भी पीछे प्रस्तुत किया गया है।

5. सरकार को अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, और यदि हम शीघ्र ऐसा कर सकें तब भी इस वर्ष के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमारे पास केवल लगभग छः महीने होंगे। अतः हमने एक नई पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है। योजना आयोग ने मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वह अपनी प्राथमिकताओं को पुनः स्पष्ट करें और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्यक्रमों को दुबारा तैयार करें। इससे व्यय के प्रत्येक शीर्ष के अधीन आबंटनों में कुछ परिवर्तन अवश्यम्भावी हैं। इसके अलावा नए कार्यक्रमों या स्कीमों को शुरू करना पड़ सकता है और पुरानों की पुनर्संरचना करनी पड़ेगी। इन परिस्थितियों में यह उचित समझा गया कि चालू कार्यक्रमों को तब तक चलने दिया जाए जब तक योजना आयोग एक व्यापक पुनरीक्षा पूरी नहीं कर लेता और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप व्यय प्रणाली तैयार नहीं करता। परन्तु एक बात स्पष्ट है। अंतरिम बजट में उपलब्ध कराए गए योजना संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अंतरिम बजट में प्रदान की गई 135,071 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के अलावा मैं 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस और कुछ अन्य अतिरिक्त आबंटनों से 2004-05 के बजट अनुमानों में कुल योजना व्यय बढ़कर 145,590 करोड़ रुपए हो जाएगा।

III. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एवं वृहद् आर्थिक पृष्ठभूमि

6. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 ने बजट प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बना दिया है। सरकार ने 5 जुलाई, 2004 से उक्त अधिनियम और नियमावली को अधिसूचित करके विवेकपूर्ण राजकोषीय एवं वित्तीय नीतियों की अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित की है। बजट के साथ एक वृहद् आर्थिक संरचना विवरण, एक मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, और एक राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

7. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन मैं 2007-08 तक राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए बाध्य हूं। तथापि, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह प्रस्तावित है कि हम 2008-09 तक ऐसा करें। मेरे विचार में इसके लिए 2008-09 अधिक विश्वसनीय आखिरी वर्ष है। यह वर्ष इस सरकार के कार्यकाल से भी मेल खाता है। अतः मैं वित्त विधेयक के माध्यम से इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रति कटिबद्ध हूं। राजकोषीय घाटे की समाप्ति से राजकोषीय सक्षमता पर प्रतिकूल असर डाले बिना बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत तक की राजकोषीय वृद्धि हो जाएगी।

8. आर्थिक आधारभूत स्थितियां सुदृढ़ जान पड़ती हैं और भुगतान संतुलन की स्थित मजबूत है। यद्यपि मूल्यों पर अल्पावधि दबाव है तो भी वर्ष की संभावनाएं अनुकूल हैं और सरकार पूरी

तरह सचेत है। कृषि में बढ़े हुए उत्पादन और मूल्य वर्धन, औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार और सेवा क्षेत्रक के कार्य-निष्पादन में निरंतर उछाल से वृद्धि बनाए रखी जाएगी।

9. सरकार स्थिरता तथा साम्य के साथ तीव्र विकास हासिल करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक 5-वर्षीय कार्य-योजना पर अमल करेगी। उपायों का समुचित रूप से क्रमबद्धीकरण और तीव्र विकास के युग में सुधार प्रक्रिया को जारी रखना मुख्य चुनौतियां हैं। सरकार विकास, स्थिरता और साम्यता के तीन परस्पर सुदृढ़कारी उद्देश्यों के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

IV. गरीबी और बेरोजगारी मिटाना

10. हमारी एक सबसे बड़ी सम्पदा हमारे मानव संसाधन, हमारे लोग हैं। लोगों को, विशेषकर गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी सार्वभौम पहुंच बनाकर समर्थ बनाने और लाभकर रोजगार के माध्यम से विकास प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाने से उनके कल्याण में वृद्धि होगी। इससे स्वयं विकास प्रक्रिया में मजबूती आएगी। यह लाभकारी कार्यक्रम सरकार की आर्थिक नीति का आधार है।

योजना की पुनर्संरचना

11. मेरे पास हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन का लाभ है। हमारी कार्ययोजना में गरीब का स्थान सर्वोपरि होगा- न केवल 10,000 करोड़ रुपए की सकल बजट सहायता की अतिरिक्त राशि पर जिसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आज मैं करता हूं वरन उन समूची आयोजना निधियों पर भी जिन्हें योजना आयोग पुनःआवंटित करेगा।

12. गरीब लोग अपने बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा चाहते हैं। हम इसकी व्यवस्था करेंगे और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा कम से कम आठ साल तक विद्यालय में रहे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा जब विद्यालय में रहे तो वह भूखा न रहे। गरीबों को पेयजल चाहिए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बस्ती में पेयजल का एक निश्चित स्रोत हो। गरीब बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या, वाजिब मूल्यों पर दवाएं और उचित दूरी पर डाक्टर चाहते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानवीय और वित्तीय संसाधन हों। गरीब अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं; हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतर निवेशों के माध्यम से और लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

13. हालांकि योजना आयोग अंतिम आवंटन करेगा, मैं सदन को यह आश्वस्त कर दूं कि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे कि काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन स्कीम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेयजल, कृषि में निवेश, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण सुख सुविधाओं के प्रावधान, सड़कें तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

अन्त्योदय अन्न योजना

14. मैं अन्त्योदय अन्न योजना को जारी रखने और उसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हैं। इन परिवारों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक सब्सिडीयुक्त मूल्य पर प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। 2003-04 में स्कीम के अंतर्गत

20.76 लाख टन चावल और 17.48 लाख टन गेहूं वितरित किया गया। चालू वर्ष में, मैं 2 करोड़ परिवारों को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि चावल और गेहूं के उठाव में बढ़ोतरी होगी। इसके परिणामस्वरूप, अन्त्योदय अन्न योजना को लगभग 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस व्यय के लिए 25,800 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी के आवंटन में प्रावधान रखा गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

15. उचित मूल्य की दुकानें निर्धन वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। हम इस प्रणाली में मौजूदा कमजोरियों को दूर करेंगे तथा लोक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएंगे। मैं कुछ देर बाद, इस विषय पर फिर से चर्चा करूंगा।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

16. निवेश तथा विकास से युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यद्यपि, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी से निर्धन लोगों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। इसका उद्देश्य, प्रत्येक निर्धन परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस विधेयक के संदर्भ में महाराष्ट्र में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सम्मानीय समीक्षकों द्वारा इंगित जोखिमों से बचने की तरफ भी ध्यान देगी। मेरे साथी, श्रम मंत्री जी, को आशा है कि वह इस विधेयक को शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत कर देंगे। इस नए कानून को अधिनियमित किए जाने तक, मेरा सर्वाधिक पिछड़े वर्गीकृत 150 जिलों, जिन्हें ऐसे कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है के रूप में पहचाना गया है, में एक नया काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्कीमों के आवंटनों को एकत्रित करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जाएगी। एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई, आरईजीपी तथा पीएमआरवाई के अंतर्गत कुल 6000 करोड़ रुपए से अधिक की पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। ऐसे कार्य के लिए मांग के आधार पर चालू वर्ष के दौरान और अधिक निधियों का आवंटन किया जाएगा। मुझे आशा है कि अगले चार वर्षों के दौरान इन आवंटनों में काफी वृद्धि की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि धन और श्रम के व्यय के परिणामस्वरूप स्थायी तथा स्पष्ट परिसंपत्तियों का सृजन हो जिससे सारे समुदाय को लाभ पहुंचे।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

17. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संबंधी विषय का मेरे हृदय में विशेष स्थान है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 1180 करोड़ रुपए (1137 करोड़ रुपए से बढ़ाकर) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1146 करोड़ रुपए (1087 करोड़ रुपए से बढ़ाकर) का आवंटन किया गया है। एसजीएसवाई, एसजीआरवाई तथा आईएवाई जैसी अन्य योजनागत स्कीमों के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए विशेष आरक्षण रखे गए हैं। इन आरक्षणों का विस्तार 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है।

अल्पसंख्यक

18. अल्पसंख्यकों के कल्याण, विशेषरूप से उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए, अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन रखा गया है।

स्वयं-सहायता समूह

19. सूक्ष्म वित्त संबंधी पहल, बैंकिंग प्रणाली को निर्धन लोगों तक पहुंचाने का किफायती माध्यम होती है। 1992 में आरंभ किया गया स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक संपर्क कार्यक्रम एक लंबी दूरी तय कर चुका है। 31 मार्च, 2004 तक, बैंकों द्वारा वित्तपोषित 10.79 लाख स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से 1.67 करोड़ परिवारों ने लाभ उठाया। जबकि एसएचजी अवधारणा को सक्रियता से आगे बढ़ाया जाएगा, मेरा मानना है कि विकसित स्वयं-सहायता समूह अब ऐसी स्थिति में होंगे कि वे अब उपभोक्ता अथवा उत्पादन संबंधी ऋण से लघु उद्यम आरंभ करने के स्तर पर आ सकते हैं। नाबार्ड, सिडबी, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों के लिए 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए 5.85 लाख स्वयं-सहायता समूहों के साथ ऋण संपर्क बनाने का निश्चयात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

V. महत्वपूर्ण क्षेत्र

20. इससे पहले कि मैं चिंता के ऐसे अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करूं जिन पर इस बजट का प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत कर दूंः

- तीन वर्षों में कृषि संबंधी ऋण को दोगुना करना, सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना तथा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश करना;
- कृषि बीमा तथा मवेशी बीमा की व्यवस्था करना;
- कृषि उत्पाद बाजारों में सुधार लाना, तथा कृषि कारोबार को प्रोत्साहन प्रदान करना;
- सभी के लिए पेयजल;
- जल संचयन, जलसंभर विकास तथा लघु और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करना;
- नए कार्यों के सृजन हेतु सार्वजनिक तथा निजी, घरेलू तथा विदेशी उद्योग में निवेश को बढ़ाना;
- लघु उद्योग को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करने की संभावना का पता लगाना;
- सभी के लिए बिजली;
- दूरसंचार सुविधाओं तक सभी लोगों की पहुंच;
- गरीबों के लिए और अधिक आवास निर्माण;
- स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से चिकित्सा देखभाल तक पहुंच; और
- बचतों को प्रोत्साहन देना तथा वरिष्ठ नागरिकों की बचतों को सुरक्षा प्रदान करना।

21. मुझे विश्वास है कि विकास की कुंजी निवेश में निहित है, चाहे वह सार्वजनिक तथा निजी निवेश हो, घरेलू तथा विदेशी निवेश। इसलिए मेरी मंशा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश को बढ़ाना है। तथापि, राजकोषीय सूझबूझ तथा वित्तीय अनुशासन सर्वोपरि लक्ष्य बना रहेगा। मैं संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों की आत्मसात क्षमता को भी ध्यान में रखूंगा।

VI. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा

22. मेरी विभिन्न योजनाओं में, कोई मुद्दा इतना अधिक प्राथमिकता का नहीं है जितना कि सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार को

शिक्षा उपकर लगाने हेतु आदेश दिया गया है। मैं 2 प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस नए उपकर से संपूर्ण वर्ष में लगभग 4000-5000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। उपकर के रूप में संग्रहित की गई इस संपूर्ण राशि को शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा जिसमें स्वाभाविक है कि पोषक पका मध्याह्न भोजन का प्रावधान भी शामिल होगा। यदि प्राथमिक शिक्षा तथा पोषक पके भोजन की योजना साथ-साथ चले तो मुझे विश्वास है कि भारत के गरीब बच्चों के लिए एक नए सवेरे का आगमन होगा।

23. मैं देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिन्तित हूं। भले ही मुझे गलत समझा जाए, लेकिन मैं आईआईटी के बारे में नहीं बल्कि आईटीआई के संबंध में उल्लेख कर रहा हूं। आईटीआई, दक्ष जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण का आधार है। आईटीआई द्वारा प्रदान की गई दक्षता को उद्योग की प्रौद्योगिक मांगों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए और ज्ञान की व्यापकता को विस्तारित करना चाहिए। हमारे तकनीशियनों का केवल एक ही मानदंड है - और वह है विश्व मानदंड। विश्व मानदंड के अनुरूप तकनीशियनों को तैयार करने के लिए, सरकार का केन्द्रीय क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 500 आईटीआई को प्रतिवर्ष 100 आईटीआई के हिसाब से उन्नयन करने संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने का प्रस्ताव है। उपयुक्त आधारभूत ढांचा तथा उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी, पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा और नए व्यवसाय प्रारंभ किए जाएंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं वाणिज्य और उद्योग चैम्बर का सरकार को सहयोग प्रदान करने और स्कीम के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के मॉडल को तैयार करने के लिए स्वागत करता हूं। आईटीआई का चयन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

24. अप्रैल, 2001 से शैक्षणिक ऋण योजना चालू है जिसके तहत देश में तथा विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु क्रमशः 7.50 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। संपार्श्विक ऋण की इस अपेक्षा को 4 लाख रुपए तक के ऋणों के संबंध में समाप्त कर दिया गया था। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि वाणिज्यिक बैंक अब 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की संपार्श्विक आवश्यकता को यदि विद्यार्थी की ओर से संतोषप्रद गारंटी प्रदान की जाती है, माफ करने पर सहमत हो गए हैं। इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें आईआईटी, आईआईएम पाठ्यक्रम तथा मेडिकल कालेज भी शामिल हैं, में प्रवेश लेने वाला कोई छात्र धन की कमी की वजह से शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रहेगा।

स्वास्थ्य

25. गरीबों को चिकित्सा देखभाल आसानी से उपलब्ध नहीं है। अभी प्रचलित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (यूएचआईएस) गरीबों से इतर लोगों के पक्ष में बनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे केवल थोड़े से परिवार - वास्तव में मई, 2004 तक 11,408 - इसके अंतर्गत आते हैं। यद्यपि किश्तें कम हैं परन्तु बीपीएल परिवार इन किश्तों के भुगतान की अपनी असमर्थता के कारण इस स्कीम से बचते दिखाई देते हैं। अपनी इस वर्तमान संरचना में यह स्कीम चल सकने वाली नहीं है। अतः मैं स्कीम को पुनः तैयार करने और इसे गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए पूर्ण रूप से बनाने का प्रस्ताव करता हूं। लाभ में किसी कटौती के बिना संशोधित किश्त व्यक्तियों के लिए 165 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 248 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए 330 रुपए होगी। किश्त में कटौती को पूरा करने के लिए मैं किश्त (प्रीमियम) सब्सिडी वर्तमान 100 रुपए से बढ़ाकर व्यक्ति के लिए 200 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 300 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए

400 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। पूरे वर्ष में राजकोष पर 40 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यदि धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो बीमाशुदा व्यक्तियों की संख्या लगभग 10 लाख हो जाएगी।

26. उपर्युक्त के अलावा, मैं सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से एक नई सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके बीमाशुदा व्यक्ति स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य ऋण संबद्ध समूहों (सीएलजी) के सदस्य होंगे जो बैंकों या सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति किश्त 120 रुपए की होगी परन्तु बीमा कवर 10,000 रुपए की धनराशि का होगा।

27. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तीव्रीकृत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी उचित रूप से जोर देता है। एचआईवी/एड्स की वृद्धि शून्य स्तर पर लाने के लिए साहसिक एवं दृढ़-निश्चयात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। इनमें अधिक प्रहरी स्थलों की स्थापना के जरिए उन्नत निगरानी और एचआईवी/एड्स की मानीटरिंग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग, जन-जागरूकता अभियान, कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम तथा नष्ट की जाने वाली सुइयों (सिरिंजेज) का वितरण शामिल होगा। एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 259 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

VII. कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था

28. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पांच उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाना तथा एग्रो-प्रसंस्करण का विकास करना है। 24 जून, 2004 को अपने राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास हेतु एक "नए उपाय" का आश्वासन दिया है। यह नया उपाय न केवल ग्रामीण विकास तथा कल्याण के लिए अनिवार्य है बल्कि 7-8 प्रतिशत की सतत समग्र वार्षिक विकास दर प्राप्त करने तथा रोजगार सृजन के लिए भी आवश्यक है।

29. कृषि क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसा निवेश ऋण सक्षम निजी निवेश तथा वर्धित सार्वजनिक निवेश के माध्यम से करना होगा। मेरी मंशा कृषि में निवेश को बढ़ाने हेतु राजकोषीय उपायों के प्रयोग करने की भी है।

ऋण

30. मेरी मंशा है कि तीन वर्षों में कृषि ऋण का प्रवाह दुगुना हो जाए। हमने 18 जून, 2004 को कृषि ऋण संबंधी व्यापक नीति की घोषणा कर इस दिशा में शुरुआत की है। इस नीति के संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और यदि आवश्यक हो तो इसे और व्यवस्थित रूप दिया जाएगा।

31. सरकार ने इस नीति के कार्यान्वयन का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सौंपा है।

32. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक प्रायोजक बैंक है। मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रायोजक बैंक अपने अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य निष्पादन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो प्रशासन संबंधी नए मानदण्डों को अपनाएंगे तथा जो नीतिगत नियमों का पालन करेंगे, वे बैंक अपने पुनगर्ठन के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।

33. कृषि संबंधी ऋण प्रदान करने का तीसरा माध्यम सहकारी बैंक प्रणाली है। जब तक सहकारी बैंक मजबूत और ऋण-देने योग्य नहीं होंगे तब तक ऋण के जरुरतमंद प्रत्येक किसान तक ऋण पहुंचाना संभव नहीं होगा। स्थिति बहुत गंभीर है। एक स्थायी हल निकालने की दृष्टि से, मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो सहकारी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें समुचित विनियामक तंत्र भी शामिल है, में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करेगा। इस कार्यबल से अनुरोध किया जाएगा कि वह बहुत तेजी से अपना कार्य करे तथा अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2004 तक प्रस्तुत कर दे।

सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना

34. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को 1996-97 में आरम्भ किया गया था तथा वर्ष-दर-वर्ष इसे बड़े पैमाने पर निधियां प्रदान की गई। फिर भी 178 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनकी पहचान की गई थी, में से केवल 28 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। इस कार्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है। समाप्ति के कगार पर ऐसी परियोजनाओं, जो मार्च, 2005 तक पूरी हो जाएंगी, को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं, जिन्हें मार्च, 2006 तक पूरा किया जा सकता है, को भी चालू वर्ष में शामिल कर लिया जाएगा। अगले वर्ष, हम इस लक्ष्य को बढ़ा कर मार्च, 2007 कर देंगे, उससे अगले वर्ष उस लक्ष्य को मार्च, 2008 कर देंगे तथा इसी प्रकार यह आगे बढ़ता जाएगा। मैंने इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

35. ग्रामीण अवंसरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना नाबार्ड में 1994-95 में की गई थी। पांच महीने पहले आरआईडीएफ को बंद करके कुछ अलग उद्देश्य वाली एक अन्य निधि की स्थापना की गई। कुछ राज्य सरकारों तथा बहुत से माननीय सदस्यों ने आरआईडीएफ को बंद करने का विरोध किया था। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए तथा मेरी अपनी सोच के अनुसार, मैंने आरआईडीएफ को फिर से आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस निधि के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा 2004-05 के दौरान आरआईडीएफ के लिए 8000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि प्रदान की जाएगी।

जल निकायों की पुनः स्थापना

36. अब मैं अपने एक बड़े स्वप्न की चर्चा करता हूं। जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा होता है। हमें चेतावनी दी गई है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को जिस सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा वह जल का संकट होगा। जल वास्तव में एक नवीकरणीय संसाधन है लेकिन किसी भी वर्ष में यह अक्षय नहीं हो सकता। जल के संकट से हमारे लाखों साथी नागरिकों के जीवन प्रभावित हुए हैं। कुछ शहरों में, आधी रात के बाद पूरे परिवार एक या दो बाल्टी पानी की प्राप्ति के लिए जागते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पानी भरने के लिए अक्सर बालिकाओं को स्कूल से निकाल लिया जाता है। मैं इस आसन्न संकट से पूरी तरह चिंतित हूं। इसलिए मैं एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव रखता हूं। युगों-युगों से, भारतीय कृषि झील, तालाब जैसे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जल निकायों पर आश्रित रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक मिलियन से भी अधिक ऐसी संरचनाएं है तथा लगभग 500,000 का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उनमें से बहुत सी संरचनाओं का उपयोग नहीं किया जाता। बहुत सी संरचनाओं में गाद भर गई है और कई संरचनाओं की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है।

37. इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ की जाए। चालू वर्ष के दौरान, हम कम से कम पांच

जिलों में प्रायोगिक योजनाओं से शुरुआत करेंगे तथा हम देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम एक जिले का चयन करेंगे। इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। इन पांच प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए एसजीआरवाई, पीएमजीएसवाई, डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी जैसे मौजूदा कार्यक्रमों से निधियों को निकाला जाएगा। एक बार प्रायोगिक परियोजनाओं के पूरा हो जाने तथा प्रामाणिक हो जाने के पश्चात, सरकार राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना को आरम्भ कर देगी तथा 7 से 10 वर्ष की अवधि में इसे पूरा कर लेगी।

38. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों से संबंधित कोई बाधा नहीं आएगी। उदाहरण के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक वर्ष औसत 3000 करोड़ रुपए की राशि जल संबंधी कार्यक्रमों में निवेश करता हैं। मेरा इरादा, निधिकरण के लिए इस परियोजना को बहुपक्षीय एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने का भी है। मुझे आशा है कि आगामी दशक के प्रारम्भ होने तक भारत के सभी जल निकायों को उनकी मूल गरिमा के साथ पुनःस्थापित कर दिया जाएगा तथा इन जल निकायों की भंडारण क्षमता को कम से कम 100 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा।

जल संचयन

39. किसी क्षेत्र या गांव के लिए विशिष्ट जल संचयन योजनाएं अत्यधिक उपयोगी पाई गई हैं। ये योजनाएं अनेक ऋण संस्थाओं द्वारा समर्थित होती हैं। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ऐसी योजनाओं का लाभ विरले ही मिलता है। इन किसानों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार एक राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना शुरु करेगी। इस योजना में प्रति यूनिट 20,000 रुपए की औसत लागत पर एक लाख सिंचाई यूनिटें शामिल की जाएंगी नाबार्ड आसान शर्तों पर ऋण देगा और उधारकर्ता से कोई मार्जिन राशि प्रभारित नहीं की जाएगी, सरकार नाबार्ड के माध्यम से 50 प्रतशित पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी और योजना के लिए अनुमान 100 करोड़ रुपए है।

बाढ़ नियंत्रण

40. प्रति वर्ष बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में व्यक्तियों व पशुओं की जानें जाती हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्तर्राज्यीय नदियों और अन्तर्राष्ट्रीय नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए पूर्ण केन्द्रीय सहायता परिकल्पित है। ब्रहमपुत्र बोर्ड ने ब्रहमपुत्र और बराक घाटियों में भूक्षरण-रोधी और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए एक योजना तैयार की है। बाढ़ नियन्त्रण और भूक्षरण-रोधी कार्यक्रम चालू वर्ष में शुरु किया जाएगा। उत्तराचंल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के गंगा-बेसिन में इसी तरह का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कार्य की प्रगति के अनुसार अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

विविधीकरण

41. भारत गेहूं और धान में आत्म निर्भर है परन्तु अन्य कृषि उपजों में कमी है। समय आ गया है कि हमारे किसानों को बागवानी, फूलों की और तिलहनों की खेती जैसे क्षेत्रों को अपनाकर कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों में आनंद माडल बहुत अधिक सफल रहा है, सरकार का एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरु करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से दुगना करके 2011-12 तक 300 मिलियन टन करना है। मैं इस मिशन की शुरुआत करने में सरकार के साथ हाथ मिलाने के

लिए राज्यों को आमंत्रित करता हूं। राज्यों को, आनंद माडल का अनुकरण करने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सहकारी समिति की स्थापना करने जैसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

42. तिलहन एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गत वर्ष हमने 25 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन किया परन्तु हमने 2.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का खाद्य तेल का आयात भी किया। सरकार उत्तम कोटि की बीज-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर और मूल्य समर्थन की उपयुक्त नीति के माध्यम से किसानों के लिए तिलहन की खेती करना सुविधाजनक बनाएगी।

43. भारत को सभी उत्पादों, विशेषकर कृषि उपजों के लिए एक एकल बाजार बनना चाहिए। कृषि उत्पाद विपणन समितियों को शासित करने वाले मौजूदा कानूनों की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है। सरकार ने एक मॉडल कानून परिचालित किया है। अब तक दस राज्यों ने मॉडल कानून की तर्ज पर 'प्रत्यक्ष विपणन' और 'संविदा कृषि' के लिए वैधानिक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरु की है। मैं सभी राज्यों से यथाशीघ्र मॉडल कानून बनाने का आग्रह करता हूं।

अनुसंधान और विकास

44. कृषि अनुसंधान और विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक ऐसी योजना का लाभार्थी है जिसके अंतर्गत आईसीएआर द्वारा अर्जित प्रत्येक वाणिज्यिक रुपए के बराबर, वर्धित रुप से बजट से एक और रुपया उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आईसीएआर को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में जो वाणिज्यिक रुप से सक्षम हैं, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से निधियां प्राप्त होती हैं। कृषि अनुसंधान का तेजी से जैव-प्रौद्योगिकी, वैक्सीन और निदान शास्त्र जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। शुष्क भूमियों और असिंचित क्षेत्रों में खेती पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। 2004-05 के लिए आवंटन 1000 करोड़ रुपए है (जिसमें बजट अनुमान 2003-04 में 775 करोड़ रुपए से वृद्धि की गई है) और मैं वर्ष के दौरान और अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि कारोबार

45. वर्ष 1994 में लघु कृषक कृषि कारोबार सहायता संघ (एसएफएसी) की स्थापना हुई थी। यद्यपि एसएफएसी ने वर्ष 1998 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, लेकिन इसकी आधारभूत निधि में 10.95 करोड़ रुपए की स्वल्प राशि थी। मेरी दृष्टि में, एसएफएसी को परियोजनाओं के संचालन हेतु-जोखिम पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए और पूर्णतया कारोबार की तर्ज पर तरज़ीही तौर पर किसी बैंकर द्वारा इस सहायता संघ का संचालन किया जाना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन ने ऐसे 13 जिलों की पहचान की है जहां कृषि-कारोबार की भारी सम्भावना है और लगभग 170 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय ने एसएफएसी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है जिसमें मुख्य कार्यपालक के तौर पर बैंकर की नियुक्ति करना भी शामिल है। मैं अपनी ओर से एसएफएसी को आवश्यक अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं जिसकी-आवश्यकता उसे कृषि-कारोबार को तेजी से प्रोत्साहित करने हेतु है।

जोखिम कम करना

46. कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को दिसम्बर, 2002 में निगमित किया गया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) जो उपज अथवा फसल का बीमा करती है, रबी 1999-2000 से

प्रचालन में है। एआईसी योजना को नए सिरे से तैयार कर रही है। हम स्कीम से जुड़े रहेंगे तथा एक अन्य मूल्यांकन करेंगे। इस बीच, रबी 2003-04 के दौरान 12 राज्यों के 19 जिलों में कृषि आय (फसल के बजाए) के बीमा की एक प्रायोगिक-योजना प्रारम्भ की गयी है। सरकार ने इसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु इस योजना को खरीफ 2004 में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मौसम बीमा योजना, कम से कम डिजाइन में, अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना पूर्ण प्रतीत होती है। एआईसी चालू फसल मौसम में 20 वर्षा मापक केन्द्रों में प्रायोगिक आधार पर इस योजना को प्रारम्भ कर रहा है। इस चरण में यह कहना कठिन होगा कि तीन योजनाओं में कौन सी योजना सफल होगी। कृषि बीमा तथा मवेशी बीमा जटिल उत्पाद हैं तथा इन्हें सावधानी से तैयार करना होगा। मैं कृषि तथा मवेशी को बीमा कवर उपलब्ध कराने की सरकार की वचनबद्धता को पुनः दोहराता हूं।

VIII. आधारभूत ढांचा

47. निरन्तर विकास की प्रक्रिया कारगर आधारभूत ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार नीति तथा राजकोषीय उपायों के संयोजन से ढांचागत सुविधाओं की अपर्याप्तताओं को दूर करने हेतु वचनबद्ध है।

अंतर-सांस्थानिक समूह

48. विद्युत क्षेत्रक में एक अंतर-स्थानिक समूह 6 विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय-समापन करने में सफल हो गया है। अन्य 10 परियोजनाएं वित्तीय-समापन प्राप्त करने के कगार पर हैं। इस अवधारणा का विस्तार कुछ अन्य आधारभूत सुविधा क्षेत्रकों में किया जा सकता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईडीबीआई., आईडीएफसी., आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई., एलआईसी., बैंक आफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ने एक अंतर-सांस्थानिक समूह (आईआईजी) का गठन कर लिया है। वह अपने संसाधनों को तुरंत आधार पर "पूल" करेंगे और जब भी आवश्यक होगा, 40,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। आईआईजी ऋण करारों का शीघ्र निष्पादन और आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। प्रारंभ में विमानपत्तन, बन्दरगाह और पर्यटन आईआईजी के लक्ष्य-क्षेत्रक होंगे।

जल-आपूर्ति

49. राजीव गांधी पेयजल मिशन को "मिशन मोड" के रुप में कार्यान्वित करने का इरादा था। परन्तु हाल के वर्षों में नये कार्यक्रम उभर कर आये हैं और मूल मिशन को भुला दिया गया है। 75,000 से अधिक निवासों को अभी भी पर्याप्त पेय जल उपलब्ध कराया जाना है। सरकार का इरादा सभी पेयजल स्कीमों को राजीव गांधी पेयजल मिशन के संरक्षण में लाना है।

50. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को चालू वर्ष में 2610 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं। यह जल संसाधनों के नवीकरण और शामिल न किये गये तथा आंशिक रुप से शामिल किये गये निवासों को सुविधा प्रदान करने पर केन्द्रित होगा। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, स्वामित्व रखने, संचालन और अनुरक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को एआरडब्ल्यूएसपी के कार्यान्वयन के लिये निधियों की सुपुर्दगी की जाएगी।

51. इसी तरह शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में चल रहा है। 2151 नगर इस कार्यक्रम के अधीन विचारार्थ हैं। चालू वर्ष में 151.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

52. चेन्नई नगर तथा अन्य बहुत से नगरों में पेयजल का अत्यधिक संकट है। चैन्नई के निकट, राज्य क्षेत्र में, पहला विशाल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा कोरोमंडल तट पर ऐसे और भी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा पारेषण पाइपलाइनों और सीमित विद्युत संयंत्र के लिए अल्प लागत भी आएगी। प्रस्ताव है कि इस परियोजना को सरकारी-निजी भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना

53. सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना भारतीय प्रायद्वीपीय लोगों का सपना नहीं बल्कि बहुप्रतीक्षित मांग है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर, द्वारा इस परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को पूरा कर लिया गया है। यह संस्थान अब तकनीकी-आर्थिक एवं इंजीनियरिंग व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है तथा इस रिपोर्ट को शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है। नौवहन मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजनी साधन (एसपीवी) आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस एसपीवी के द्वारा इस परियोजना के लिए धनराशि जुटाई जाएगी तथा इक्विटी सहायता और ऋण-गारंटी के संयोजन के माध्यम से सरकार इस के निधिकरण में योगदान करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल (आईसीटीटी), वल्लारपदम

54. सरकार द्वारा पत्तन अवसंरचना के विकास और विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में, अपर्याप्त ड्राफ्ट और कार्गो संचालन अवसंरचना के कारण तथा आंशिक रुप से स्थान संबंधी असुविधाओं के कारण, मुख्य मार्गों पर चलने वाले जलयान अक्सर भारतीय पत्तनों पर आने से बचते हैं। भारत से कंटनरों को पहले कोलंबो तक पोतांतरित किया जाता है और वहां से उन्हें अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अन्य प्रमुख भारतीय पत्तनों की तुलना में कोची को स्थान संबंधी लाभ प्राप्त है क्योंकि यह प्रमुख समुद्री मार्गों के अधिक नजदीक है। सरकार द्वारा कोची पत्तन में वल्लारपदम स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल की निर्माण सुविधा "बनाओ, परिचालन करो तथा अंतरित करो" (बीओटी) आधार पर प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण आवास

55. इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) ग्रामीण गरीब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ ही गैर-अनुसूचित जाति/जनजातियों हेतु आवास निर्माण का एक मुख्य माध्यम रही है। आईएवाई के अधीन निर्मित मकान ग्रामीण परिवारों हेतु ऋण तथा सब्सिडी योजना के अधीन बनाए जाते हैं। पात्र परिवारों को 10,000 रुपए तक की सब्सिडी तथा 40,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब.अ. 2003-04 में आईएवाई के लिए आवंटन 1710 करोड़ रुपए था। चालू वर्ष में, मैं इस आवंटन को 2247 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि और धन की आवश्यकता होगी तो इस वर्धित-आयोजना परिव्यय के अन्तर्गत पूरा किया जाएगा।

56. आईएवाई को सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास निर्माण वित्त योजना अगस्त, 1997 में प्रारम्भ की गयी थी। इसकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है और अब तक 10.26 लाख आवास इकाइयां वित्तपोषित हो गयी हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 180,000 आवास इकाइयों पर ही इसका स्थिर रहना प्रतीत होता है। इस योजना को और प्रोत्साहन देने की जरुरत है। मुझे यह घोषणा करने में

प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस वर्ष 25 आधार-बिन्दुओं द्वारा पुनर्वित्तपोषण की दर को घटाने की पेशकश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण आवास निर्माण हेतु बैंकों द्वारा ऋण की वापसी अदायगी के मानदंडों को संशोधित करने हेतु सहमत हो गया है ताकि किश्तों का मेल फसल चक्रों से हो। ग्रामीण आवासन के लिए ऋण प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा जोत के सम्बन्ध में उपयुक्त मालिकाना हक का न होना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिभूति के सृजन को सरल रुप देने के लिए कानून बनाया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाए। इन परिवर्तनों के साथ, मुझे विश्वास है कि प्रतिवर्ष 250,000 ग्रामीण आवासन इकाइयों के उच्च्च लक्ष्य को निर्धारित करना सम्भव हो जाएगा।

IX. उद्योग

57. भारत में निवेशकों के लिए आकर्षक माहौल पैदा करना मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मैं एक निवेश आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। इस आयोग को भारत में निवेश करने हेतु घरेलू तथा विदेशी कारोबारियों को आकर्षित करने, उनसे वार्तालाप करने तथा उन्हें आमंत्रित करने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से व्यापक प्राधिकार प्राप्त होगा। इस आयोग की अध्यक्षता एक प्रतिष्टित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने एक उपयोगी भूमिका निभाई है और अभी भी यह प्रस्तावित निवेश के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सहमति प्राप्त करने के लिए एक-स्थानिक केन्द्र (वन-स्टॉप सेंटर) के रुप में कार्य करता है। सरकार का विश्वास है कि एफआईपीबी के अनेक कार्यों को ऑटोमेटिक रुट पर रखा जा सकता है और एफआईपीबी को एक एकल-स्थानिक सेवा केन्द्र और सुविधा केन्द्र के रुप में बदला जा सकता है। घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का कार्य प्रस्तावित निवेश आयोग द्वारा किया जाएगा।

58. सरकार का एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह परिषद विनिर्माण उद्योगों की अभिवृद्धि को ऊर्जित करने और उसमें निरन्तरता लाने हेतु नीतिगत विचार-विमर्श का एक सतत मंच होगी। परिषद से विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने को कहा जाएगा। परिषद प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि के लिए उद्योग अथवा क्षेत्रक-विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश भी करेगी।

59. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ जुड़ने की सम्भाव्यता है। राष्ट्रीय साझा-न्यूनतम कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है कि विशेषकर बुनियादी ढांचा, उच्च्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित और सक्रिय रुप से आकर्षित किया जाता रहेगा। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये हैं दूर संचार, नागरिक उड्डयन और बीमा। इन क्षेत्रकों में विशाल मात्रा में पूंजी का निवेश करने की तात्कालिक आवश्यकता है। अतः मैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रकवार अधिकतम सीमा बढ़ाकर दूर-संचार में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत; नागरिक उड्डयन में 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत; और बीमा में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

पूंजी बाजार

60. सरकार पूंजी बाजारों के व्यवस्थित विकास और कामकाज के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजी बाजारों को व्यापक बनाने तथा विनियामक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं कि खुदरा निवेशक पूंजी बाजार में लौट रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत के प्रति सुस्पष्ट तरजीह दर्शाई है।

भारतीय पूंजी बाजार को सुदुढ़ और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिये मैं यह प्रस्ताव करता हूॅं:-

* विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये पंजीकरण और प्रचालन प्रक्रियाओं को सरलतर और शीघ्रतर बनाना;
* ऋण निधियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये निवेश की अधिकतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.75 बिलियन अमरीकी डालर करना।
* बैंकों को पूंजी बाजार में अपने ऋण जोखिम में सशक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के साथ अधिक छूट देना।
* पूंजी बाजार से इक्विटी और ऋण जुटाने के लिये छोटे और मझोले उद्द्यमों (एस.एम.ई.) हेतु एक वैकल्पिक व्यापार प्लेटफार्म बनाना; और
* वस्तु बाजारों और प्रतिभूति बाजारों के एकीकरण के लिये कदम उठाना।

इन मामलों के संबंध में आर.बी.आई. और "सेबी" आवश्यक उपायों की घोषणा करेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी है कि "सेबी" दीर्घकाल से चले आ रहे दलालों के शुल्क के मुद्दे को हल करने में सफल रहा है और दलाल इस बारे में शीघ्र एक घोषणा की आशा कर सकते हैं।

61. अनेक असली विदेशी सांस्थानिक निवेशक परिसंपत्ति प्रबन्धकों और वित्तीय विश्लेषकों के व्यावसायिक निकाय हैं जो इक्विटी पूंजी प्रवाह बढ़ा सकते हैं और पूंजी-बाजारों को व्यापकता प्रदान कर सकते हैं। एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रकों में विदेशी संस्थागत निवेशों की सीमाओं के उदारीकरण की सिफारिश की है। मैं संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच एवं कार्यान्वयन का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकारी क्षेत्रक

62. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की गई है। हालांकि , रुग्ण सरकारी उपक्रमों के कारण बहस तो बहुत हुई हैं लेकिन जिन सरकारी उपक्रमों की हालत अच्छी है, उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार के उपक्रमों (रेलवे सहित) को 14,194 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता तथा 2132 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेगी। मुख्य निवेश विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़कों, पैट्रोलियम, कोयला तथा नागर विमानन से जुड़े सरकारी उपक्रमों में किए जाऐंगें। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत सुदृढ़ तथा प्रभावी सरकारी क्षेत्र के संबंध में सरकार की गहन वचनवद्धता की प्रशंसा करेंगे।

63. निश्चय ही सरकारी क्षेत्र का एक दूसरा पहलू भी है। इस पहलू में समस्याओं का घेरा है तथा हम इन समस्याओं को जिम्मेदारी और साहस के साथ दूर करेंगे। विनिवेश तथा निजीकरण उपयोगी आर्थिक साधन हैं। हम अपनी घोषित नीति के अनुरूप विशिष्टता से इन साधनों का प्रयोग करेंगे। पहले कदम के रूप में, मैं सरकारी क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। यह बोर्ड सरकार को सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन हेतु किए जाने वाले उपायों, जिनमें विनिवेश अथवा समापन अथवा बिक्री को न्यायसंगत ठहराया जाता है, जैसे मामले भी शामिल होंगे, के बारे में सरकार को परामर्श देगा।

64. हमारी नवरत्न कंपनियों में एक राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने हेतु सेबी के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया है। इसके परिणामस्वरूप

एन.टी.पी.सी में सरकार की धारिता कुछ कम हो जाएगी। अपनी धारिता का मूल्य प्राप्त करने तथा उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार का इरादा एन.टी.पी.सी के सार्वजनिक निर्गम के संबंध में आवश्यक साथ-साथ सहायता करने तथा अपनी धारिता के लगभग पांच प्रतिशत भाग का विनिवेश करने का है। इस तथा कुछ अन्य मामलों, जो अभी विचाराधीन हैं, से चालू वर्ष के दौरान 4000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। जबकि ये विनिवेश-राजस्व भारत की समेकित निधि का हिस्सा होंगे, 2005-06 का बजट प्रस्तुत करते समय मैं सदन को इस बात की सूचना दूंगा कि उपरोक्त राजस्व का निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में किस प्रकार उपयोग किया गया है अथवा किया जाएगा।

65. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के संबंध में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्पष्ट नीतिगत मार्ग निर्देश सन्निहित हैं। सरकार जब तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रण रखती है तथा इसका सार्वजनिक क्षेत्र का चरित्र प्रभावित नहीं होता हो तो सरकार अपनी इक्विटी कम कर सकती है और लोगों की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधन जुटा सकती है। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड से यह कहने का प्रस्ताव करता हूं कि वह प्रत्येक मामले की यथार्थ में जांच करे और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप विनिवेश संबंधी सिफारिशें करे।

66. मुझे यह घोषणा करते हूए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने पुनःसंरचना के कार्य को पूर्ण गंभीरता से लिया है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की पुनःसंरचना हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई.टी.आई.) के लिए एक बचाव पैकेज तैयार किया गया है तथा आई.टी.आई. को बी.आई.एफ.आर. के जाल से बाहर रखने के लिए 508 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

लघु उद्योग

67. लघु उद्योग अभिवृद्धि का साधन है और इसे माना भी जाना चाहिए। इसी के साथ लघु उद्योगों की इकाइयों को मध्यम उद्यमों के रूप में बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लघु और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पूरे विश्व में नीतियां बनाई गई हैं। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग मंत्रालय ने 85 मदों की पहचान की है जिन्हें आरक्षित सूची से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है। इससे भी बढ़कर, यह महसूस किया गया है कि लघु उद्योग इकाइयों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यवसाय करने की अत्यावश्यक जरुरत है। मैंने पूंजी सब्सिडी योजना की पनुरीक्षा की है और मैं इस योजना के अन्तर्गत उच्चतम सीमा 40 लाख रूपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। सब्सिडी की दर भी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जाएगी। इस योजना में और उप-क्षेत्रकों तथा सहायता के लिए पात्र प्रौद्योगिकियों को जोड़कर इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लघु उद्योग इकाइयों को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहत किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से अनेकानेक लघु उद्योग इकाइयां इस पुनःसंरचित योजना से लाभ उठाएंगी। "लघु उद्योग योजना को बढ़ावा" देने के लिए 135.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उस राशि के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना हेतु निधियां मिल सकेंगी।

परम्परागत उद्योगों का पुनरुद्धार

68. हमारे कुछ परंपरागत उद्योग नामतः नारियल जटा, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाने और अन्य कुटीर उद्योगों में अभिवृद्धि व निर्यात की विपुल संभाव्यता ही नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।

तदनुसार, परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु 100 करोड़ रूपए के आरंभिक आवंटन के साथ एक निधि की स्थापना की जाएगी। इस निधि के उपयोग के लिए तंत्र सहित ब्यौरे संबंधित उद्योगों के साथ परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

X. अन्य प्रस्ताव

वैट

69. मूल्य वर्धित कर एक ऐसा कर है जिसका परीक्षण व जांच हुई है तथा पूरे विश्व में इसे लाभप्रद पाया गया है। अपने देश को एक आधुनिक तथा सक्षम व्यापार कर प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को शामिल किया गया हो। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 18 जून, 2004 को हुई बैठक, जिसमें सभी वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मेरे अनन्य मित्र डा. असीम दास गुप्ता ने की थी, में वैट लागू करने की राज्यों में मोटे तौर पर सहमति थी। इसके कार्यान्वयन हेतु 1 अप्रैल, 2005 की तारीख निर्धारित की गई है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं व राज्य सरकारों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अभी संगत वैट विधान पारित नहीं किया है उसे 2004 के अन्त तक पारित कर लें। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ ही हरियाणा का अनुभव यह संकेत देता है कि वैट से राजस्व में वृद्धि होगी, इससे राजस्व में हानि नहीं होगी। तो भी राज्यों को सुखद स्थिति में रखने के लिए राजस्व की हानि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु एक सूत्र तैयार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने राज्यों को एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सेवाओं की पेशकश की है। यह समिति निकटता से राज्यों के साथ काम करेगी और स्थिर रूप से क्रियान्वयन के चरण की तरफ जाने में उनकी मदद करेगी।

पेंशन सुधार

70. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी, 2004 से, जो उस तारीख में या उसके बाद भर्ती किये गये हैं, एक "परिभाषित अंशदान" पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के लिये एक विनियामक ढांचा प्रदान करने हेतु एक उचित कानून संसद में पेश किया जाएगा।

निर्यात-संवर्धन

71. मेरे साथी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस महीने के अंत तक संसद के समक्ष एक नई व्यापार नीति पेश करेंगे। सरकार का यह विचार है कि विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) विकास के इंजन हैं जो विनिर्माण, निर्यातों एवं रोजगार में तेजी ला सकते हैं। निजी क्षेत्रक ने एस.ई.जेड. के विकास में काफी रूचि दिखाई है। पांच एस.ई.जेड. ने कार्य शुरू कर दिया है। एस.ई.जेड. के लिये एक विशेष राजकोषीय एवं विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। वाणिज्य मंत्री विशेष आर्थिक जोन्स के विनियमन के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पेश करेंगे और मेरा विश्वास है कि ऐसा कानून पारित करना विनिर्माण एवं निर्यातों का एक बड़ा केन्द्र बनने की हमारी अभिलाषा में एक कीर्तिमान साबित होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम

72. वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों की संवैधानिक वैधता को, धारा 17 की उपधारा (2) को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है। इस फैसले के अनुसरण में अनेक बैंकों ने अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियों की वसूली को तेज करने में संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उधारकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार के बारे में उच्चतम न्यायालय की चिन्ता

उचित रूप से दूर करने और साथ ही साथ वसूली प्रक्रिया विलम्बित और बाधित न हो यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम के संगत उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। बैंकों को देय ऋणों की वसूली और वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 में, यदि आवश्यक हुआ, संबंधित संशोधन भी किये जायेंगे।

ब्याज दरें

73. केन्द्र सरकार ने कम ब्याज दरों के कारण नये उधारों पर ब्याज के मामले में काफी बचत की है। राज्य निम्न ब्याज दरों पर उधार लेने और पुराने उच्च लागत के ऋणों की अदला-बदली करने में भी समर्थ थे। 2002 से राज्यों को ऋण अदला-बदली योजना के माध्यम से लगभग 2500 करोड़ रुपए तक का लाभ पहुंचा है। उधारकर्ताओं को जहां साधारण ब्याज दरों का लाभ मिला है, वहीं बचतों को बढ़ावा देने और बचतकर्ताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि देश के व्यापक हित में हमें एक हितकर ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए जो बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के विधिसम्मत दावों में उपयुक्त सन्तुलन बनाए रखे।

74. मेरा विश्वास है कि सभी ब्याज दरों को, एकाध अपवादों को छोड़कर, बाजार से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। एक ऐसी बचत योजना की आवश्यकता है जो वयोवृद्ध नागरिकों को बाजार-निर्धारित दर से अधिक प्रतिफल प्रदान करे। एक ऐसे बचत प्रपत्र की भी आवश्यकता है जो सभी नागरिकों को अधिक लम्बी अवधि के लिए बचत का एक जोखिम रहित अवसर प्रदान करे और इस प्रकार के प्रपत्र पर थोड़ी अधिक ब्याज दर मिलनी चाहिए। इन विवेचनों में सन्तुलन लाते हुए, मैं लघु बचत प्रपत्रों पर ब्याज की मौजूदा दरों में किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं करता हूं। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पीपीएफ, जीपीएफ और विशेष जमा योजना पर 8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। वयोवृद्ध नागरिकों के लिए मैं वरिष्ठ नागिरक बचत योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी। अन्य सभी नागरिकों के लिए मैं भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं जिसपर 8 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना अब आवश्यक प्रतीत नहीं होती है क्योंकि नई बचत योजना में वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त रूप से कवर किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

75. दसवीं योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि खाद्य स्टाम्प वितरित करने की प्रणाली का परीक्षण प्रायोगिक आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र परिवार एक निर्दिष्ट वितरण केन्द्र से खाद्य स्टाम्पों का मासिक कोटा प्राप्त करने का हकदार होगा और फिर इन स्टाम्पों का प्रयोग किसी खाद्य दुकान से खाद्यान्न खरीदनें में किया जा सकता है। मैं एक चयनित राज्य में दो या तीन परस्पर सटे जिलों में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्य वितरित करने के स्थान पर खाद्य स्टाम्प वितरित करने की प्रायोगिक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि कोई एक राज्य इस प्रयोग में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करने में आगे आएगा।

लिंग बजटीय व्यवस्था

76. महिलाओं के एक दल ने मुझसे भेंट की तथा मुझसे आग्रह किया कि मैं लिंग बजटीय व्यवस्था पर विचार करूं। इसका अभिप्राय यह है कि बजट आंकड़े इस प्रकार से पेश किए जाएं कि बजट आवंटनों में लिंग संवेदनशीलताओं को स्पष्ट तौर पर उजागर किया जाए। "सरकारी लेनदेनों की वर्गीकरण प्रणाली" सम्बन्धी एक विशेषज्ञ समूह ने 6 जुलाई, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने आंकड़ा संग्रहण की उचित प्रणालियों तथा बजट में उनको प्रतिनिधित्व दिए

जाने के बारे में अपनी सिफारिश प्रदान की हैं। इस समूह ने समय-समय पर लाभ-स्थिति विश्लेषण को प्रारम्भ करने की भी सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों की जांच करेगी तथा मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 के बजट में करना मेरे लिए सम्भव होगा।

सब्सिडी

77. सात वर्ष पहले, मैंने संसद के समक्ष सब्सिडियों पर पहला दस्तावेज रखा था। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का संकल्प लिया गया है कि सभी सब्सिडियां पूर्णतः गरीबों तथा लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजूदर तथा शहरी गरीबों जैसे वास्तविक जरुरतमंद लोगों के लिए लक्षित होंगी। मैंनें राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान से कहा है कि वह इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक खाका तैयार करे। मुझे विश्वास है कि संसद के अगले सत्र में सदन के समक्ष मैं इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करूंगा।

राज्यों की वित्तीय व्यवस्था

78. राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का भारी अनुपात राज्यों को अन्तरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार राज्यों को ऋण भी प्रदान करती है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों के प्रकाश में, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों की भागीदारी ब.अ. 2003-04 में 63,758 करोड़ रुपए से बढ़कर 82,227 करोड़ रुपए हो जाएगी। हम दूसरे तरीकों से भी राज्यों की सहायता कर रहे हैं। उन तरीकों में एक है- ऋण अदला-बदली योजना। मैं ऋण अदला-बदली की सुविधा देने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत राज्यों को नए ऋण लेने तथा अपने उच्च लागत वाले ऋणों की वापसी अदायगी नाबार्ड तथा अन्य एजेंसियों को करने की अनुमति होगी। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि उन्हें मुक्त बाजार ऋणों में वृद्धि करने तथा केन्द्र सरकार के ऋणों पर उनकी निर्भरता घटाने की अनुमति देने के संबंध में राज्यों से परामर्श किया जाए। मैं परस्पर मुद्रा आधार पर राज्यों को विदेशी ऋण प्रदान किए जाने पर भी विचार करूंगा।

79. हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर संसाधनों के अंतरण के माध्यम से राज्यों को अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य राजकोषीय विवेक तथा वित्तीय अनुशासन के पालन संबंधी दायित्व को स्वीकार करेंगे।

80. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 12.5 प्रतिशत ब्याज दर लगती थी। 2003-04 में इस दर को कम करके 10.5 प्रतिशत कर दिया गया । इस दर में और कटौती करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। 1 अप्रैल, 2004 से राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। इससे, केवल इसी वर्ष के दौरान राज्यों को 375 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

विशेष आर्थिक पैकेज

81. राष्ट्रीय साझा न्यनूतम कार्यक्रम के अंतर्गत यह वायदा किया जाता है कि विगत में बिहार, जम्मू और काश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेजों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार में बहुत सी परियोजनाएं, जिनमें विद्युत, सड़कों, जलनिकासी तथा विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं, काफी समय से लम्बित पड़ी हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से बिहार की सहायता की जाएगी। इसके लिए अभी 3225 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस राशि में वृद्धि की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.)

82. सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के शीघ्र विकास के लिये वचनबद्ध है। तदनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अपने योजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत आबंटित करने का आदेश दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय करने के लिये यह आबंटन 5823 करोड़ रुपए का होगा। इस 10 प्रतिशत के आबंटन से खर्च न की गई शेष धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय संसाधन पूल में अंतरित की जाएगी। चालू वर्ष में इस क्षेत्र की विशिष्ट परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिये केन्द्रीय संसाधन पूल से 650 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं जो 2003-04 के 550 करोड़ रुपए से अधिक हैं।

जम्मू एवं कश्मीर

83. सरकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को उचित योजना आकार के लिये विशेष सहायता प्रदान करेगी। काफी समय से लंबित बागलीहार परियोजना के लिये भी यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार भी बैंक आफ जम्मू एण्ड कश्मीर के साथ वर्तमान ओवरड्राफ्ट करार से भारतीय रिजर्व बैंक की अर्थोपाय स्कीम में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु राज्य को 300 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिये सहमत हो गई है।

पिछड़ा राज्य आयोग

84. राष्ट्रीय साझा न्यनूतम कार्यक्रम में पिछड़े राज्य अनुदान आयोग का सृजन करना निहित है जिसका उपयोग ऐसे राज्यों में उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिये किया जाएगा। इसमें यह भी निहित है कि केन्द्र सरकार से सभी असांविधिक संसाधन अन्तरण गरीब एवं पिछड़े राज्यों के पक्ष में दिये जायेंगे परन्तु निष्पादन पैरामीटर भी ध्यान में रखे जायेंगे।

85. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि (कार्पस) के साथ एक पिछड़े राज्य अनुदान निधि की स्थापना करेगी और यह धनराशि 5 वर्ष की अवधि में प्रदान की जाएगी। लगभग 1800 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय वाली मौजूदा पिछड़े जिले पहल योजना का जहां इस अनुदान निधि में विलय किया जाएगा, वहीं 5,000 करोड़ रुपए के वार्षिक अंशदान के लिए अपेक्षित शेष राशि को योजना के लिए कुल केन्द्रीय सहायता में से चिह्नित किया जाएगा। आशा है कि इससे एक निश्चित समयावधि में देश के निर्धनतम और सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा कार्यक्रमों को आरम्भ किया जा सकेगा। यह निधि वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रचालन में आएगी। आगे के ब्यौरे योजना आयोग के साथ परामर्श से तय किए जाएंगे।

रक्षा आधुनिकीकरण

86. राष्ट्रीय साझा न्यनूतम कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वायदे के अनुसार, सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में होने वाले सभी विलम्बों को समाप्त करने के लिए, कटिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा संबंधी पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का सम्मान करते हुए, इस वर्ष उच्च आवंटन करना आवश्यक हो गया है। तद्नुसार, मैं रक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 2003-04 के 65,300 करोड़ रुपए की तुलना में) करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 33,483 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 2003-04 के 20,953 करोड़ रुपए की तुलना में) का आवंटन भी शामिल है।

2004-2005 के बजट अनुमान

87. अब, मैं चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों की ओर रुख करता हूं।

आयोजना व्यय

88. बजट तैयार करते समय मैनें पाया कि आयोजना गत स्कीमों की बहुलता है। इन स्कीमों की संख्या, किस्म और यहां तक कि वे संक्षिप्ताक्षर जिनसे इन्हें जाना जाता है, विभ्रमकारी हैं। मैंने यह भी पाया कि कई ऐसी स्कीमें हैं जिनके उद्देश्य लगभग एक से हैं। कुछ मामलों में सभी स्कीमें एक ही मंत्रालय या विभाग में अवस्थित थीं, अन्य मामलों में वे अलग-अलग मंत्रालयों या विभागों के बीच बंटी हुई थीं। आयोजना स्कीमों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है - केन्द्रीय क्षेत्रक, राज्य क्षेत्रक और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे परिवार योजना के अतिरिक्त सभी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें राज्यों को अंतरित की जाएंगी। सौभाग्यवश एक नया योजना आयोग हमारे सामने है और मुझे विश्वास है कि योजना आयोग योजनाओं के इस उलझाव को व्यवस्थित करेगा।

89. वर्ष 2004-05 के लिए आयोजना व्यय वर्ष 2003-04 की अनन्तिम वास्तविक राशि 122,149 करोड़ रुपए की तुलना में 145,590 करोड़ रुपए आंका गया है, जहां एक और आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2003-04 में 78,537 करोड़ रुपए से वृद्धि होकर यह 91,843 करोड़ रुपए हो गया, वहीं आयोजना पूंजी व्यय वर्ष 2003-04 में 43,612 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,747 करोड़ रुपए हो गया जो तीव्र और स्वागत योग्य बढ़ोतरी है।

आयोजना-भिन्न व्यय

90. वर्ष 2004-05 में आयोजना-भिन्न व्यय के 332,239 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो वर्ष 2003-04 की अनन्तिम वास्तविक राशि 349,787 करोड़ रुपए से अपेक्षाकृत कम है जिसमें राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को पुनर्अदायगी किया जाने वाला 46,211 करोड़ रुपए का पूंजी व्यय शामिल है। अन्तरिम बजट के आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः रक्षा में पूंजी व्यय (11,000 करोड़ रुपए) तथा भारतीय टेलिफोन उद्योग लि. को सहायता प्रदान करने की वजह से है।

राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा

91. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 477,829 करोड़ रुपए आंका गया है जिसमें से आयोजना के तहत 145,590 करोड़ रुपए तथा आयोजना-भिन्न के लिए 332,239 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। मेरा अनुमान है कि केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 309,322 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय 385,493 करोड़ रुपए होगा। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटा 76,171 करोड़ रुपए आंका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के समकक्ष है तथा जो वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत (अनन्तिम वास्तविक राशि के अनुसार) के तद्नुरूपी अनुमानों से एक प्रतिशत अंक नीचे है। राजकोषीय घाटा 137,407 करोड़ रुपए आंका गया है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है।

भाग ख

XI. कर प्रस्ताव

92. मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा ।

93. कराधान राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह वायदा किया गया है कि "कर दरें टिकाऊ और अभिवृद्धि, अनुपालन व निवेश के लिए प्रेरक" होंगी। 1990 के दशक में शुरू की गई नीतियों को आभार के साथ प्रत्यक्ष कर दरें अब संयत हैं और उन्हें समय-समय पर सिर्फ दुरस्त करते रहने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में सुविचारित कमी के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर भी संतुलित हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुपात 1990-91 में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 3.8 प्रतिशत हो गया। प्रत्याशा के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुपात 1990-91 में 7.9 प्रतिशत से गिरकर 2003-04 में 5.3 प्रतिशत के अनुपात के साथ और तेजी से गिर गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इसका कमजोर बिंदु है। उत्पाद शुल्क राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के आसपास कुछ हठधर्मिता के साथ अटके हुए हैं। उत्पाद शुल्क दरों में कटौती अंशत इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है, विनिर्माण उद्योग के विस्तार से हमें कुछ अधिक राजस्व मिलना चाहिए था।

94. मेरी कराधान संबंधी नीतियों के माध्यम से मैं यह संकेत देना चाहता हूं कि हम कर दरों में संयम व स्थायित्व के प्रति वचनबद्ध रहें; कि हम प्रत्यक्ष करों व उत्पाद शुल्कों से राजस्व बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध रहें; कि हम सेवा कर तंत्र के विस्तार के प्रति वचनबद्ध रहें क्योंकि सेवा कर सकल घरेलू उत्पाद का 51 प्रतिशत बैठता है । मैं कर नीतियों का प्रयोग विशेष प्रकार के निवेश को प्रोत्साहन देने और बाजार में विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए भी करुंगा।

95. मैं कर सुधारों का समर्थक हूं परन्तु मेरी तरफ से यह बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा कि कर सुधारों का प्रयास अति शीध्रता से या थोड़ा-थोड़ा करके करुं। अब से सात माह पश्चात् दूसरा बजट होगा और तब कर सुधार के विषय में चर्चा करने का मौका मिलेगा ।

प्रत्यक्ष कर

96. मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले आपको अच्छे समाचार देना चाहूंगा। एक लाख रुपये (100,000 रुपए) तक की कर योग्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। इस निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं था। जहां कर दरें कम हैं वहां कर स्लैब विचारणीय समस्या होती है। परन्तु मैं कर-स्लैब बदलने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं ऐसे समय में राजस्व की बड़ी धनराशि से वंचित नहीं हो सकता जब सरकार ने निवेश और कल्याण कार्यक्रमों के लिये एक बड़ा उत्तरदायित्व लिया है। आयकर विवरणियां दाखिल करने वाले लगभग 3.4 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 2.7 करोड़ व्यक्ति कर दाता होते हैं। मेरे प्रस्ताव से 1.4 करोड़ कर निर्धारितियों को राहत मिलेगी। मैंने जो पद्धति अपनाई है वह कुछ नई है। जहां प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान कर-स्लैब और कर दरों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगा और अपनी कर योग्य आय एवं देय कर की संगणना करेगा वहां 100,000 रुपये की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को आयकर देयता से स्वतः छूट प्राप्त हो जाएगी। मैं इस बजट में अधिक राहत, अथवा सभी के लिये राहत नहीं दे सकता। यदि इसके अनुपालन में सुधार हुआ तो मैं इस विषय पर पुनः सोचने का वचन देता हूं।

97. मैं पात्र करदाताओं के कुछ वर्गों को राहत देने का प्रस्ताव रखता हूं। तदनुसार, मैं सैन्य संचालन कार्यों के दौरान मारे गए सशस्त्र बलों तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्यों की विधवाओं, बच्चों तथा नामित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली परिवार पेंशन को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूं। उनके सर्वोत्कृष्ट बलिदान के प्रति यह मेरा विनम्र अभिवादन है।

98. मैं स्वलीन (ओटिज्म), प्रमस्तिष्कीय अंगघात तथा बहुमुखी अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों को धारा 80घघ तथा धारा 80प का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं।

99. किसानों द्वारा यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि कुछ शहरी समूहों में स्थित कृषि भूमि पूंजीगत परिसम्पत्ति की परिभाषा में शामिल किया जाता है तथा ऐसी भूमि के अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे पर पूंजीलाभ कर लगाया जाता है। ऐसे मुआवजे को पूंजी लाभ कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। मैं ऐसे सभी मामलों में, जिनकें अंतर्गत 1 अप्रैल, 2004 अथवा उसके पश्चात् मुआवजा अथवा संबंधित मुआवजा प्राप्त किया गया है, यह छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं।

100. केन्द्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए इस वर्ष पहली जनवरी, 2004 से एक नई "परिभाषित अंशदान" पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंशदानों के कर प्रबंधन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस संबंध में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ईईटी फार्मूले को अपनाने का प्रस्ताव रखता हूं। इस फार्मूले के अंतर्गत कर प्रयोजनों हेतु अंशदानों को आय से अलग रखा जाएगा; उपचित राशि को भी कर से मुक्त रखा जाएगा; तथा केवल अंतिम रूप से मिलने वाले लाभ पर उसकी प्राप्ति के वर्ष में लागू दर पर कर लगाया जाएगा।

101. मैं कुछ ऐसी छूटों को वापिस लेने का प्रस्ताव रखता हूं जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो गई है। अनिवासी (बाह्य) से अर्जित ब्याज तथा विदेशी मुद्रा में जमाराशियों पर बैंकों द्वारा अनिवासी अथवा असाधारण निवासी को अदा किया गया ब्याज अब कर से मुक्त नहीं होगा। इसी प्रकार, किसी विदेशी राज्य अथवा विदेशी उद्यम से हवाई जहाज अथवा उसका इंजन लीज पर प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा की गई अदायगी कर से मुक्त नहीं होगी। यह छूट 1सितम्बर, 2004 के पश्चात् समाप्त हो जाएगी।

102. माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने 1997 में उपहार कर समाप्त कर दिया था। वह निर्णय अभी भी कायम है लेकिन काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने से (मनी लांडरिंग) रोकने के लिए बचाव के कुछ रास्तों को बंद करने की आवश्यकता है। तदनुसार गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त होने वाले 25,000 रुपए से अधिक कीमत वाले ऐसे सभी उपहारों को आय मान कर उन पर कर लगाया जाएगा। रक्त संबंधियों, पूर्वजों एवं वंशजों से प्राप्त उपहारों तथा विवाह जैसे कतिपय अवसरों पर प्राप्त होने वाले उपहारों को कर से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा।

103. एग्रो-प्रसंस्करण उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं अधिनियम की धारा 80झख में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं ताकि फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, रख-रखाव तथा पैकेजिंग हेतु स्थापित नए एग्रो-प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत लाभ की छूट तथा आगामी 5 वर्षों हेतु 25 प्रतिशत लाभ की छूट की अनुमति दी जा सके।

104. सरकार को विनिर्माण क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए, मैं किसी मौजूदा उपक्रम द्वारा अधिग्रहित अथवा संस्थापित नए संयंत्र तथा मशीनरी पर धारा 32(1)(iiक) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, संस्थापित क्षमता में अब अपेक्षित वृद्धि 25 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत होगी।

105. ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने अच्छा कार्य किया है और इसे प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ऑटोमोबाइल उद्योग को एक ऐसे उद्योग के रूप में करने का प्रस्ताव करता हूं जो विभागीय अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं पर होने वाले व्यय का 150 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का हकदार होगा ।

106. विद्युत क्षेत्र को भी कर रियायतों की जरूरत है। विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत निर्माण, पारेषण तथा वितरण की अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। मौजूदा पारेषण तथा वितरण लाइनों के पुनरुद्वार तथा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु मैं ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में धारा 80झक के तहत लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्हें 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 के दौरान हाथ में लिया गया है।

107. नौवहन उद्योग ने टनभार कर लगाने की मांग की है ताकि इसको इरादतन प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके। टनभार कर से और अधिक पोतों को भारतीय पत्तनों पर आवाजाही को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस अनुरोध पर अपनी सहमति का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरुप, धारा 33कग के अन्तर्गत प्रदत्त रियायती व्यवस्था को वापस ले लिया जाएगा तथा पोत-परिवहन कम्पनियों के पास टनभार कर अथवा लाभ पर सामान्य कारपोरेट कर के भुगतान का एकमात्र विकल्प मौजूद रहेगा।

108. मैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए 100 अथवा अधिक बिस्तरों वाले नए अस्पतालों को धारा 80झख का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं। ऐसे अस्पतालों को पांच वर्ष की अवधि के लिए उनके लाभ पर 100 प्रतिशत कटौती की छूट प्राप्त होगी।

109. आवास उद्योग को 31 मार्च, 2005 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धारा 80झख के अंतर्गत कतिपय लाभ प्राप्त हैं, इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2007 करने का प्रस्ताव करता हूं।

110. मुम्बई शहर में अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण और विकास में एक छोटी समस्या पैदा हुई है, सम्भवतः यह समस्या अन्य शहरों में भी है। अतः मैं आवासीय परियोजनाओं के मामले में एक एकड़ के न्यूनतम भूखण्ड आकार की शर्त में छूट देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि ये परियोजनाएं केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्निर्माण और विकास की योजना के अनुसार कार्यान्वित की जाएं।

111. पूंजी अनुलाभ कर दूसरा पेचीदा मुद्दा है। पूंजी बाजार लेन देनों पर लागू करने से यह और भी जटिल हो जाता है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक की परिभाषाओं और दो प्रकार के अनुलाभों को दिये गये विभेदक कर व्यवहारों के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। इसके आसान उत्तर नहीं हैं, परन्तु मैंने प्रतिभूतियों के लेन-देन पर करों की पुनर्सरंचना द्वारा एक शुरूआत करने का निर्णय लिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में प्रविष्टि 90 को विवेकपूर्ण तरीके से शामिल किया था। उस प्रविष्टि का अनुसरण करते हुए मैं प्रतिभूति लेन देनों से दीर्घकालिक पूंजी अनुलाभों पर कर समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके स्थान पर मैं शेयर बाजारों में प्रतिभूतियों के लेन देन पर एक छोटा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह दर प्रतिभूति के मूल्य का 0.15 प्रतिशत होगी। इस प्रकार एक लाख रुपये के मूल्य वाली प्रतिभूति के लेनदेन पर अब 150 रुपये का छोटा सा कर लगाया जाएगा। यह कर खरीददार पर लगाया जाएगा। प्रतिभूतियों से अल्पकालिक अनुलाभों के मामले में, मैं कर की दर

घटाकर समान 10 प्रतिशत की दर का प्रस्ताव करता हूं। मेरी गणना यह प्रदर्शित करती है कि नई कर प्रणाली सभी संबंधितों के लिये प्रसन्नता का विषय होगी।

112. मैं पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित लाभांशों पर कर में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता हूं। इक्विटी-उन्मुख पारस्परिक निधियों पर कर से छूट जारी रहेगी। ऋण संबंधी पारस्परिक निधियों को अब यूनिट धारकों में वितरित आय का 12.5 प्रतिशत भाग को रोक कर (विदहोल्ड) रखना होगा। व्यक्तियों तथा हिन्दु अविभाजित परिवारों को इस दर पर लाभ मिलना जारी रहेगा। तथापि, निगमित यूनिट धारकों के मामले में, मैं 20 प्रतिशत की दर का प्रस्ताव रखता हूं। मुझे विश्वास है कि कार्पोरेट इस बात को समझेंगे क्योंकि मैं केवल मध्यस्थता अवसर संबंधी खिड़की को आंशिक रूप से थोड़ा सा बंद कर रहा हूं।

113. अधिनियम की धारा 94 में उपयुक्त संशोधन करके बोनस-स्ट्रिपिंग तथा लाभांश-स्ट्रिपिंग को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं।

114. मैं कराधार का विस्तार करने तथा राजस्व संबंधी रिसाव (लीकेज) को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय करने का भी प्रस्ताव रखता हूं। ऐसे प्रत्येक उपाय का विवरण देकर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता।

115. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का दायरा कुछ और कार्यकलापों तक बढ़ाया जा रहा है। धारा 40 (क) (i) तथा धारा 194ग में संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

116. दूरसंचार क्षेत्रक को 31 मार्च, 2004 से पूर्व शुरू की गई सेवाओं के लिए धारा 80झक के अंतर्गत कतिपय लाभ प्राप्त थे। दूरसंचार क्षेत्रक की आवश्यकताओं की विस्तृत जांच के लम्बित रहते, मैं इसकी समाप्ति की तारीख 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

117. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व अनुमोदित कंपनियां 10 वर्ष के लिए शत प्रतिशत छूट की हकदार है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरोध पर और एक विस्तृत जांच के लम्बित रहते, मैं इसकी समाप्ति की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 करने का प्रस्ताव करता हूं।

118. जम्मू व कश्मीर में 31 मार्च, 2004 से पूर्व उत्पादन आरम्भ करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को शत प्रतिशत कर छूट प्राप्त थी। जम्मू व कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों की विस्तृत जांच के लम्बित रहते, मैं यह तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 करने का प्रस्ताव करता हूं।

अप्रत्यक्ष कर

119. मैं अब अपने अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं। नीतिगत संकेत जिसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है वह है कि सीमा शुल्कों को नपे तुले तरीके से कम किया जाएगा। मेरा इरादा है कि भारत के शुल्क ढांचे को एशियान देशों की पंक्ति में लाऊं। आखिरकार, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की एक समान दर होनी चाहिए। पिछले चार वर्षों के दौरान मेरे पूर्ववर्तियों ने उत्पाद शुल्कों को समंजित किया और उन्हें केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर दर (सेनवेट) की और ले गए। वह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक महत्ववाली वस्तुओं को 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क वहन करना होगा।

120. दूसरा सिद्धांत जिस पर बल दिए जाने की आवश्यकता है वह है कि जहां उत्पाद शुल्क लगाया जाए, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे माल जब आयात किया जाए तो उस पर समतुल्य प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) लागू होना चाहिए। मेरे कर प्रस्तावों में मैंने इसलिए कुछ आयातित माल द्वारा लिए जा रहे प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से छूट को हटा दिया है जहां भारत में बने माल पर उत्पाद शुल्क से कोई तदनुरुपी छूट नहीं है।

121. मैं यह भी इंगित करुंगा कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आपस में जुड़े हुए हैं। किसी क्षेत्रक के लिए कर व्यवस्था पर विचार करते समय हमें उस क्षेत्रक पर लागू सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क को ध्यान में रखना चाहिए ।

122. जनवरी, 2004 में सीमा-शुल्क की अधिकतम दर घटाकर 20 प्रतिशत की गई थी। मैं शेष चालू राजकोषीय वर्ष के लिए इस अधिकतम दर को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं।

123. मैं अब धातुओं, खनिजों और औद्योगिक कच्चे माल से शुरू करते हुए विशिष्ट क्षेत्रकों के बारे में चर्चा करुंगा। इस्पात एक अग्रणी धातु है। सामान्यतः इस पर 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क होना चाहिए। तथापि, इस वर्ष फरवरी, में, इस्पात पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था परन्तु इस चेतावनी के साथ कि नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। आशाओं के विपरीत इस्पात के मूल्यों में कमी नहीं आई है बल्कि ये तेजी से बढ़े हैं। मैं अमिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करने और इस्पात पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आयातों पर भी लागू होगा। मुझे आशा है कि फरवरी 2004 के बाद से हुई कुछ राजस्व क्षतियों की पूर्ति हो सकेगी।

124. मिश्र इस्पात, तांबा, शीशा, जस्ता और मूल धातुएं विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कुछ बुनियादी कच्चे माल हैं। मैं इन धातुओं पर अधिकतम दर घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं गलनरोधी कच्चे खनिजों और ग्रेफाइट, एस्बेस्टोस, अभ्रक और जिप्सम जैसे खनिज उत्पादों पर भी सीमा शुल्क घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी उत्प्रेरकों पर भी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत होगा।

125. मैं कृषि क्षेत्रक को कतिपय रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे पॉम आयल पर सीमा शुल्क 65 प्रतिशत बनाए रखते हुए मैं टैरिफ आयोग की सिफारिश स्वीकार करते हुए रिफाइंड पाम आयल पर शुल्क बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

126. बागान मशीनरी की कुछ मदों पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया जाता है। मैं चाय और काफी बागान क्षेत्रक से सम्बन्धित और अधिक मदों पर रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

127. उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में मैं अनेक रियायतों का प्रस्ताव करता हूं। ट्रेक्टरों पर 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है। अब ट्रेक्टर पूरी तरह शुल्क मुक्त होंगे। इसी तरह डेयरी मशीनरी जिस पर 16 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है, को पूरी छूट प्राप्त होगी। हाथ के औजार जैसे फावड़े, बेलचे और दरातियों, जिन पर इस समय 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क वसूला जाता है, भी पूरी तरह उत्पाद शुल्क मुक्त होंगे।

128. मांस, मुर्गी और मत्स्य व्यंजनों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत किया जाएगा और फूड ग्रेड हेक्सेन (खाद्य तेल उद्योग में प्रयुक्त) पर उत्पाद शुल्क 32 प्रतिशत से घटा कर 16 प्रतिशत किया जाएगा।

129. मैं स्वास्थ्य क्षेत्रक को कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। विकलांगों के लिये अनेक मदों पर पहले ही आयात शुल्कों से छूट प्राप्त है या उन पर 5 प्रतिशत का रियायती शुल्क लगाया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि टाकिंग बुक्स, ब्रेल कम्प्यूटर टर्मिनल, ब्रेल-राइटर्स और टाइपराइटर्स, सहायक श्रवण यंत्रों, कोचलियर इम्प्लांट्स और स्टेयर लिफ्टों जैसी पुनर्वास सहायता सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दी जाय। उन्हें उत्पाद शुल्क और सीबीडी से भी छूट दी जाएगी। विकलांगों के लिये वैशाखियों, व्हील चेयर्स, वाकिंग फ्रेम्स, कृत्रिम अंगों आदि को भी सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। आयात शुल्क छूट प्राप्त कर रही दृष्टिहीनों एवं बधिरों से संबंधित संस्थाओं पर कुछ प्रतिबंध हैं। मैं इन प्रतिबंधों को हटाने और छूट प्राप्त उपकरणों की सूची बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार और नगरपालिका अस्पतालों द्वारा उपयोग किये जा रहे एंबुलेंसों पर ही 16 प्रतिशत के रियायती उत्पाद शुल्क की स्वीकृति दी गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रकार पंजीकृत सभी एंबुलेंस इस लाभ के हकदार होंगे। केवल हेपेटाइटिस बी का पता लगाने वाले नैदानिक किटों पर ही उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। मैं सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने वाले किटों पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

130. सेनवेट दर की दिशा में बढ़ने के लिये मैं कांटैक्ट लैंसों और ताशों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वैक्यूम फ्लास्क प्लास्टिक इंसुलेटेड वेयर, सुगंधित सुपारी, प्रीफैब्रीकेटेड बिल्डिंग्स, प्रयोगशाला ग्लासवेयर, श्याम-श्वेत टेलीविजन सेटों, पापुलेटेड पी.सी.बी, नकली आभूषणों, मोमबत्तियों और दीवार-घड़ियों एवं हाथ की घड़ियों सहित कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सभी मामलों में सामान्य लघु उद्योग छूट जारी रहेगी और इससे उपभोक्ताओं और छोटे विनिर्माताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अन्य विनिर्माता भी सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करेंगे।

131. गैर-यंत्रीकृत क्षेत्रक में उत्पादित दियासलाइयों के संरक्षण के लिये, मैं यंत्रीकृत/अर्ध यंत्रीकृत क्षेत्रक में उत्पादित दियासलाइयों पर उत्पाद शुल्क सेनवेट क्रेडिट के बिना 8 प्रतिशत से बढ़ाकर सेनवेट क्रेडिट सहित 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

132. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को कमोवेश कर समाहर्ता की पहुंच से बाहर रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत सीमा शुल्क को वर्ष 2005 में शून्य स्तर तक नीचे लाया जाएगा। फिलहाल, मैं समझौते के तहत आबद्ध दरों का पालन करने का प्रस्ताव करता हूं।

133. मैं कैथोड रे ट्यूबों के हिस्सों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों तथा मोबाइल हैंड सैंटों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं, प्लाज्मा डिसप्ले पैनल आदि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं। मैं टेलीकॉम श्रेणी के ऑप्टिक्ल फाइवर तथा केबिल के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट मदों को भी सीमाशुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। सेलुलर मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा आयातित मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों को अब सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी। मैं सार्वभौम पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए आयातों के सम्बन्ध में छूट का प्रस्ताव करता हूं।

134. कम्प्यूटर पर 8 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। मैं इसे पूर्ण छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

135. मैं 2000 रुपए तक की एमआरपी वाली एलपीजी गैस स्टोवों, 250 रुपए तक की एमआरपी वाले फुटवीयर तथा 200 रुपए तक की एमआरपी वाली लेखन सामग्रियों पर कुछ सीमा तक शुल्क राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

136. मैं मनोरंजन सवारियों पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

137. वाणिज्य मंत्री रहने के कारण निर्यात प्रोत्साहन में मेरी गहरी रुचि है। मैं पूंजीगत वस्तुओं पर 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिसका उपयोग चर्म उद्योग से लेकर गैर-चर्म फुटवीयर उद्योगों द्वारा किया जा रहा है।

138. सभी प्रकार के तैयार शुदा चमड़े को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है। मैं पेटेंट चमड़े पर भी इस छूट का प्रस्ताव करता हूं।

139. आभूषण उद्योग में स्वर्ण के सम्बन्ध में प्लैटिनम एक गम्भीर चुनौती है। दोनों को एक समान माना जाए। इसलिए मैं प्लैटिनम पर प्रति 10 ग्राम पर लगने वाले 550 रुपए के आयात शुल्क को घटाकर 200 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं खुरदरे अर्द्धबहुमूल्य पत्थरों की भांति रंगीन बहुमूल्य रत्नों को भी सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

140. उत्पाद शुल्क से क्षेत्र-विशिष्ट छूटें समय-समय पर दी गई हैं। पूर्वोत्तर राज्य व जम्मू और कश्मीर अपने आप में एक श्रेणी हैं। उनके द्वारा प्राप्त छूट जारी रहेंगी। सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को भी क्षेत्र-आधारित छूट दी गई थी। माननीय सदस्य इसके पक्ष में तर्कों और विरोध में तर्कों से पूरी तरह अवगत हैं। मुझे दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष रहना है। तदनुसार, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त राज्यों को प्राप्त क्षेत्र विशिष्ट छूटें जारी रहेंगी और ये 31 मार्च, 2007 से पहले स्थापित या विस्तारित इकाइयों को उपलब्ध होंगी।

141. मैं अब सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कर समस्या की चर्चा करता हूं जिसका मैने इस वर्ष सामना किया है। यह कपड़ा क्षेत्रक से संबंधित है। पिछले वर्ष हथकरघा व विद्युत करघा को सेनवेट श्रेणी में लाया गया था। इसका आशय अच्छा था परन्तु मुझे डर है कि इस निर्णय में देश में वस्त्रों के उत्पादन की विकेंद्रित व बंटी हुई प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, तथाकथित सेनवेट श्रेणी में विभिन्न चरणों में लगभग 40 छूटें हैं। वास्तव में, निर्णय के पश्चात दो छूटें जोड़ी गई हैं।

142. मुझे विदित है कि कपड़ा व वस्त्र संबंधी करार 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त हो जाएगा। हमारे कपड़ा उद्योग को अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। जो अपनी संगठनात्मक शक्ति के कारण प्रतियोगिता कर सकें, उन्हें प्रतियोगिता करने की अनुमति होनी चाहिए; शेष के लिए, हमें अनिवार्य कर व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए अधिक समय देना होगा। इसके साथ ही बराबरी की व्यवस्था होनी चाहिए।

143. यदि मैने माननीय सांसदों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भावना को सही समझा है, तो मुझे विश्वास है कि हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्रकों को सेनवेट व्यवस्था से मुक्त करने की सार्वभौम मांग रही है। इन जटिल मसलों पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैं अनिवार्य सेनवेट शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। इसके स्थान पर मैं कपड़ा उद्योग क्षेत्रक के लिए एक नई कर व्यवस्था शुरु करने का प्रस्ताव करता हूं और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस कवायद में मुझे कपड़ा मंत्री का पूरा समर्थन प्राप्त है।

144. मैं अब संक्षेप में नई व्यवस्था को स्पष्ट कर दूंः

- सर्वप्रथम, अनिवार्य सेनवेट श्रृंखला को समाप्त किया जाएगा।

- दूसरा, शुद्ध सूत, ऊन और रेशम पर चाहे वह रेशा, धागा, कपड़ा हो या परिधान, कोई अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं होगा।
- तीसरा, मिश्रित कपड़ों और शुद्ध गैर सूती कपड़ों (पोलिस्टर, विस्कोस, एक्रीलिक और नायलॉन) के लिए अलग कर व्यवस्था होगी।
- चौथा, मानव-निर्मित स्टेपल रेशे पर 16 प्रतिशत; पोलिस्टर फिलामेंट धागे (टेक्सचर्ड धागे सहित) पर 24 प्रतिशत; और अन्य मानव-निर्मित फिलोमेंट धागे (टेक्सचर्ड धागे सहित) पर 16 प्रतिशत अनिवार्य उत्पाद शुल्क होगा।

145. प्रत्येक विनिर्माता चाहे वह हथकरघा या बिजलीकरघा या सम्मिश्रित कारखाना-के पास दो मार्गों में से एक को चुनने का विकल्प होगा। इनमें से एक छूट का मार्ग होगा और दूसरा सेनवैट मार्ग होगा। छूट मार्ग के अंतर्गत किसी भी अवस्था में (सिवाय मानव-निर्मित रेशे और फिलामेंट धागे के) कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा। सेनवेट मार्ग के अंतर्गत पूर्व की अवस्थाओं में अदा किए गए सभी उत्पाद शुल्कों के लिए क्रेडिट लिया जा सकता है। वैकल्पिक सेनवेट मार्ग के प्रयोजनों हेतु यह आवश्यक है कि प्रशुल्क अनुसूची में लागू उत्पाद शुल्क दरों को विनिर्दिष्ट किया जाए। शुद्ध सूती क्षेत्रक के लिए, धागा, कपड़ा, परिधान और सिले-सिलाए वस्त्रों पर एकसमान दर 4 प्रतिशत होगी। मिश्रित कपड़ा क्षेत्रक और शुद्ध गैर सूती क्षेत्रक के लिए एक समान दर 8 प्रतिशत होगी।

146. मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाखों हथकरघा बुनकरों तथा विद्युत करघा बुनकरों द्वारा इस नई व्यवस्था का स्वागत किया जाएगा। जहां तक मिश्रित मिलों का संबंध है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं हैं। वे छूट वाली प्रणाली अपनाने के लिए मुक्त हैं परंतु यदि वे सेनवेट प्रणाली अपनाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं तथा उन्हें पहले अदा किए गए सभी शुल्कों के लिए सेनवेट क्रेडिट का दावा करना चाहिए। गारमेंट निर्यातकों को इस नई व्यवस्था को एक उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। मुझे आशा है कि वस्त्रों के मूल्य कम होंगे तथा गारमेंट निर्यातक लाभ में रहेंगे। यदि उनकी कोई चिंताएं होंगी तो उन्हें वापसी अथवा डीईपीबी व्यवस्था के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा।

147. समय बीतने के बाद यह संभव है कि हथकरघों तथा विद्युत करघों के कुछ निर्माता शुल्क की निम्न एकसमान दरों का लाभ उठाएंगे तथा सेनवेट प्रणाली का विकल्प चुनेंगे।

148. अब सेवा कर आता है वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकरण की दिशा में, मैं एक बड़ा कदम उठाना चाहता हूं। तद्नुसार, मैं सेवाकर तथा उत्पाद शुल्क संबंधी क्रेडिट का विस्तार वस्तुओं तथा सेवाओं पर भी करने का प्रस्ताव रखता हूं। ऐसे विस्तार के राजस्व संबंधी प्रभाव को निष्क्रिय करने की दृष्टि से तथा औसत सेनवेट दर को ध्यान में रखते हुए मैं सेवा कर को 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

149. अभी तक 58 सेवाओं को कर दायरे में शामिल किया गया है। इस वर्ष मैं कुछ और सेवाओं को इस दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूं। इन सेवाओं में व्यापार प्रदर्शनी सेवाएं; हवाई सेवाएं; परिवहन बुकिंग एजेंटों द्वारा प्रदत्त सेवाएं; वस्तुओं को वायुयान द्वारा भेजना; सर्वेक्षण और अन्वेषण सेवाएं, चुनाव निष्कर्ष सेवाएं; कापी राइट को छोड़कर बौद्धिक संपत्ति सेवाएं; वायदा संविदाओं के दलालों, पंडाल और शमियाना ठेकेदार तथा बाहरी स्थानों पर खाने पीने का प्रबंध करने वाले; स्वतंत्र टावी/रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता; वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण से संबंधित सेवाएं; तथा जोखिम प्रीमियम की सीमा तक जीवन बीमा सेवाएं शामिल हैं। मैं यह स्पष्ट

कर देना चाहता हूं कि ट्रक मालिकों अथवा ट्रक प्रचालकों पर सेवा कर लगाए जाने का कोई इरादा नहीं है। और न ही, जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय द्वारा भी स्पष्ट किया गया था, किसी बीमाकर्ता द्वारा संग्रहित प्रीमियम के बचत वाले हिस्से पर सेवा कर लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है।

150. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कुछ मौजूदा कर-योग्य सेवाओं को पुनर्परिभाषित किया जाए ताकि समान श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को कवर किया जा सके, लेकिन मैं इस भाषण में उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करना नहीं चाहता, कुछ कर योग्य सेवाओं के मामले में प्रदत्त रियायतों को हटाए जाने का प्रस्ताव है। सेवा कर का प्रशासन करदाताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जाएगा। मैं स्वतः निर्धारण के अनिवार्य प्रमाणन तथा अपंजीकरण के सम्बन्ध में अनिवार्य दंड की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

151. अन्त में, राष्ट्रीय साझा-न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा आदेशित कर है जो सभी करों पर शिक्षा उपकर के रुप में है। मैं आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्कों, सीमा शुल्कों, तथा सेवाकर पर 2 प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

152. मेरे कर प्रस्तावों के अलावा मैंने राजस्व के एक दूसरे स्रोत को भी देखा है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में भारी वसूली योग्य बकाया धनराशियां हैं। यहां तक की अविवादित बकाया धनराशियां भी काफी पर्याप्त हैं। अतः मैं यह मानता हूं कि इस वर्ष में इस धनराशि को वसूल करने में समर्थ रहूंगा। एक विशेष बहुमुखी अभियान इस बकाया धनराशियों की वसूली के लिए चलाया जाएगा जिसके विवरणों की घोषणा बाद में की जाएगी।

153. प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से 2000 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होने की आशा की जाती है। अप्रत्यक्ष करों के मामले में वह मुख्यतः राजस्व के लिए निष्प्रभावी हैं।

XII. निष्कर्ष

154. अध्यक्ष महोदय। भारत सहित विश्व के देशों ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपनी यात्रा शुरु कर दी है। हमारी लक्ष्य प्राप्ति की तारीख सहस्राब्दि के अंत में नहीं है बल्कि वर्ष 2015 है। क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेंगे? हमारे पास जो ग्यारह वर्ष शेष हैं उन्हीं में हमने अपने प्रारब्ध का निर्माण करना है। प्रगति हमेशा एक रेखीय पथ पर नहीं होती और न यह अवश्यंभावी है। दो हजार वर्ष पहले संत तिरुवल्लुवूर ने कहा थाः-

अरन इझुक्कत्थु अल्लवई नीकि मारन इझुक्क
माणम उडयथु अरसु।

(वही अच्छे शासक हैं जो आचार एवं नैतिकता का पालन करते हैं, कोई अपराध नहीं करते और सम्मान एवं साहस के मार्ग पर चलते हैं)

यदि हम अपने प्रशासन को विचार एवं उमंग प्रदान कर सकें, सम्मान और साहस के मार्ग पर चल सकें तो भविष्य और साहस के मार्ग पर चल सकें तो भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं। यह शताब्दी भारत की शताब्दी होगी।

155. महोदय, मैं इन शब्दों के साथ यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूं।